



प्रेस नोट

थाना - कपूरपुर

दिनांक 14.04.2024

थाना कपूरपुर पुलिस ने ई-रिक्शा से बैटरी चोरी करने की घटना का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की बैटरी को बेचकर प्राप्त 2,000/- नकदी व अवैध चाकू बरामद ।

कार्यवाही-

हापुड पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं चोर/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कपूरपुर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 60/24 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को सालेपुर नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से चोरी की बैटरी को बेचकर प्राप्त 2,000/- नकदी व अवैध चाकू बरामद हुआ है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कपूरपुर पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सोनू सिंह उर्फ डैनी पुत्र चन्द्रपाल निवासी फगौता थाना पिलखुवा जनपद हापुड ।

बरामदगी का विवरण:-

- 1- 2,000/- रुपये नकदी सम्बन्धित मु0अ0सं0 60/24 धारा 379 भादवि थाना कपूरपुर जनपद हापुड ।
- 2- एक अवैध चाकू ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. 30नि0 श्री अजय कुमार थाना कपूरपुर जनपद हापुड ।
2. हैड का0 565 प्रदीप कुमार थाना कपूरपुर जनपद हापुड ।
3. का0 947 कुशलपाल थाना कपूरपुर जनपद हापुड ।